राजस्थान सरकार
वाहन क्रय हेतु ऋण के लिये आवेदन–पत्र

1. (i) नाम एवं आयु
   (अगली जन्म तारीख)
   (ii) क्या अस्थाई है या स्थाई ?
2. पदनाम
3. स्थायी आवास का पता
4. विभाग का नाम जिसमें नियुक्त है
5. मासिक संस्थायी वेतन (Substantative Pay) एवं स्थानापन्न वेतन *(यदि कोई हो)*
6. सेवा–निवृति की तारीख
7. क्रय किये जाने हेतु प्रस्तावित वाहन की किस्म एवं अनुमानित मूल्य
8. मांगे गये ऋण की राशि
9. वाहन अग्रिम,यदि पहले आहरित किया गया हो, तो उसे स्वीकृत किये जाने के आदेश की संख्या एवं तारीख *(सही प्रतिलिपि संलग्न कीजिये)* तथा दिनांक जिसको उसकी पूर्ण अदायगी की गयी थी।
10. क्या अधिकारी कार/जीप/स्कूटर/मोटर साईकिल आदि का अपने स्वयं के व्यय पर व्यापक आधार पर जीवन बीमा निगम या उसकी शाखा के पास बीमा कराना अथवा राज्य बीमा विभाग द्वारा संधारित राजस्थान एडवान्स हजार्ड फण्ड में योगदान करना स्वीकार करता है ?

धोषणा

1. मैं एतद्द्वारा स्वयं को इससे बाध्य करता हूँ कि मैं धनराशि का उपयोग उसी प्रयोजन के लिये जिसके लिये मैंने आवेदन किया है तथा राजस्थान सरकार द्वारा वाहन क्रय के लिये निर्धारित नियमो की पूर्ण अनुपालना करते हुए करूँगा।

2. मै एतद्द्वारा स्वीकार करता हूं कि अग्रिम एवं उस पर ब्याज की पूर्ण अदायगी करने से पूर्व त्याग–पत्र देने, सेवा समाप्ति, बर्खास्तगी, हटाये जाने (Removal) या सेवा से अनिवार्य निवृत्ति या मृत्यु की दशा में, सरकार ऋण की एवं उस पर ब्याज की बकाया राशि की उपर्युक्त परिस्थितियों में से किसी के भी घटित होने पर या उसके बाद मृत्यु एवं सेवा–नियुक्ति अंशदान, बोनस अथवा अंशदायी भविष्य निधि में, सरकारी अंशदान या अवकाश वेतन या अन्य परिलब्धियों से, जो मुझे देय हो, वसूल कर सकेगी ।

साक्षी :–

1... (नाम)
....

2... (नाम)
....

सरकारी कर्मचारी के हस्ताक्षर
पद...................................पद की मुहर
विभाग का नाम...................................
तारीख...

प्रति हस्ताक्षर

कर्मचारी का घोषणा पत्र

मैं, ...

(कर्मचारी का नाम एवं पद)

शपथ पूर्वक घोषणा करता हूॅ किः–

1– मैं ऋण स्वीकृति आदेश एवं वसूली की शर्तो का अक्षरशः पालन करूॅगा।

2– ऋण एवं ब्याज राशि की निर्धारित किश्तों में कटौती अपने वेतन से नियमित रूप से करवाने के लिए मेरा स्वयं का दायित्व होगा ।

3– यदि किसी माह में अपरिहार्य कारणों से आहरण एवं वितरण अधिकारी द्वारा कटौती नहीं की जाती है तो उस माह की किश्त राजकोष में जमा करवाने का मेरा दायित्व होगाा ।

4– मैं निर्धारित अवधि में वाहन क्रय/भवन क्रय/निर्माण कर औपचारिकताएॅ पूर्ण कर दूॅगा।

मैं यह भी घोषणा करता हूॅ कि किसी प्रकार की विपरीत स्थिति में नियमों के अन्तर्गत दण्डात्मक ब्याज की अदायगी के लिए भागीदार होऊॅगा ।

दिनांक :–

ऋणी कर्मचारी के हस्ताक्षर

पद नाम

विभाग का नाम

सत्यापित किया जाता है

दिनांक :–

राजपत्रित अधिकारी के हस्ताक्षर

पद नाम

विभाग का नाम

राजस्थान सरकार

वाहन क्रय हेतु अग्रिम आहरित करते समय निष्पादित किये जाने वाले करार का प्रपत्र

यह करार दिनांक .... माह .... सन् दौ हजार .... को एक और .... (जिसे इसमें पश्चात् '' उधार लेने वाला'' कहा गया है जिस अभिव्यक्ति में उसके वारिस, प्रशासक, उत्तराधिकारी एवं विधिक प्रतिनिधि सम्मिलित होगें) तथा दूसरी ओर राजस्थान के राज्यपाल (जिसे इसमें इसके पश्चात् सरकार कहा गया है जिस अभिव्यक्ति में उनके उत्तराधिकारी एवं अभिहस्तांकिती (Assignees) शामिल होंगे) के बीच सम्पन्न किया गया है ।

चूंकि उधार लेने वाले ने वाहन क्रय के लिए सरकारी कर्मचारियों को अग्रिम की मंजूरी को विनियमित करने वाले नियमों के उपबंधों के अधीन (जिसे इसमें इसके पश्चात् कथित नियम कहा गया है जिस अभिव्यक्ति में तत्समय प्रवृत कोई भी उसका संशोधन अथवा उनमें कोई परिवर्धन सम्मिलित होगा (वाहन) (...) के क्रय के लिए .... रूपये के ऋण के लिए सरकार को आवेदन किया है एवं चूंकि राज्यपाल ने इसमें इसके अन्तविष्ट की गई शर्तो पर उधार लेने वाले कथित राशि उधार देना स्वीकार कर लिया है ।

अतः इसके पक्षकारों के बीच में एतदद्वारा स्वीकार किया जाता है कि उधार लेने वाले को सरकार द्वारा प्रदत्त .... रूपये की राशि के प्रतिफल में (जिसकी कि प्राप्ति उधार लेने वाला एतद्द्वारा यह करार करता है कि (1) वह कथित राशि का नियमों के अनुसार संगणित ब्याज का कथित नियमों में किये गये उपबंध के अनुसार अपने संवेतन से मासिक कटौतियों द्वारा सरकार को भुगतान करेगा एवं वह ऐसी कटौतियां करने के लिये सरकार को एतद्द्वारा प्राधिकृत करता है एवं (2) इन विलेखों की तारीख से एक माह में कथित ऋण की पूर्ण राशि को वाहन के क्रय करने में अथवा यदि वास्तव में किया गया भुगतान ऋण से कम है तो अंतर की राशि का सरकार को तत्काल भुगतान करेगा एवं (3) कथित नियमों द्वारा प्रावहित प्रपत्र में उधार लेने वाले को उधार दी गई यथोपरोक्त राशि एवं ब्याज के लिए प्रतिभूति के रूप में राज्यपाल को कथित वाहन का आडमान (Hypothecating) करने के लिए एक दस्तावेज निष्पादित करेगा एवं *(4) नुकसान या हानि के प्रति कथित वाहन का सरकार द्वारा अनुमोदित किसी ऐसी बीमा कम्पनी के पास जो मोटर गाड़ी अथवा मोटर साइकिल पर ली गई बीमा पॉलिसी में, सरकारी आदेश संख्या एफ. 13 (1) धारा 2, दिनांक 20–03–1952 में अन्तर्विष्ट खण्ड का उपबन्ध करने को सहमत होती हो, बीमा करायेगा तथा *(5) इन विलेखों के चालू रहने के दौरान वाहन में होने वाली किसी हानि या नुकसान के कारण बीमा के अधीन उधार लेने वाले को प्रोद्भूत (accruing) होने वाली किसी भी राशि का सरकार को भुगतान करेगा ।

तथा अंत में एतद्द्वारा यह स्वीकार किया जाता है एवं घोषित किया जाता है कि यदि इन विलेखों की तारीख से एक माह के भीतर कथित वाहन का यथोपरोक्त रूप से क्रय, बीमा एवं आडमान (Hypothecate) नहीं किया जाता है अथवा यदि उधार लेने वाला उस अवधि में दिवालिया हो जाता है या सरकार की सेवा त्याग देता है अथवा मर जाता है, तो ऋण उस पर प्रोद्भूत ब्याज की संपूर्ण राशि तत्काल देय एवं भुगतान योग्य हो जायेगी ।

जिसके कि साक्ष्य में उधार लेने वाले एवं राजस्थान के राज्यपाल के लिए एवं उनकी ओर से .... ने इसमें प्रथम उपरिलिखित दिनांक .... माह .... सन्.......................... को अपने हस्ताक्षर किए ।

यथोपरोक्त उधार लेने वाले द्वारा निम्न की साक्षी में हस्ताक्षर किए गए ।

प्रथम साक्षी :

हस्ताक्षर
व्यवसाय
पता

द्वितीय साक्षी :

हस्ताक्षर
व्यवसाय
पता

राजस्थान के राज्यपाल की ओर से निम्न की उपस्थिति में शासन उप सचिव, कार्मिक (क–1) विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर द्वारा हस्ताक्षर किए गए ।

शासन उप सचिव
कार्मिक (क–1) विभाग
शासन सचिवालय, जयपुर

प्रथम साक्षी : अनुभागाधिकारी
कार्मिक (क–1) विभाग
शासन सचिवालय, जयपुर

द्वितीय साक्षी :

हस्ताक्षर
व्यवसाय
पता

** स्थायी सरकारी कर्मचारी को साइकिल क्रय करने के लिए अग्रिम देने के मामले में इसे काट दें।*
**यदि वाहन मोटर व्हीकल या मोटर साइकिल नहीं हो तो उसे काट दें।*

राजस्थान सरकार
वाहन अग्रिम के लिए बन्धक–पत्र का प्रपत्र

यह करार एक पक्षकार के रूप में .... (जिसे इसमें आगे "उधार लेने वाला" कहा गया है और इसके अन्तर्गत उसके वारिस, प्रशासक, निष्पादक और विधिक प्रतिनिधि भी है) और दूसरे पक्ष के रूप में राजस्थान के राज्यपाल (जिन्हें इसमें "सरकार" कहा गया है और इसके अन्तर्गत उनके उत्तरवर्तो और समुदेशिती भी है) के बीच तारीख.................. को किया गया ।

उधार लेने वाले ने वाहन (...) खरीदने के लिये, सरकारी कर्मचारियों को अग्रिम मंजूर करने को विनियमित करने वाले नियमों के निबंधनो पर (जिसे इसमें आगे उक्त नियम कहा गया है, जिसके अन्तर्गत उसे समय प्रवृत उसके कोई संशोधन या परिवर्धन भी है)..................................रूपये की राशि के अग्रिम के लिये आवेदन किया है तथा वह मंजूर किया गया है और उधार लेने वाले को उक्त अग्रिम जिन शर्तो पर दिया गया है/दिया गया था उनमें से एक यह है/या थी) कि उधार लेने वाला, उसे उधार दी गई रकम के लिये प्रतिभूति के रूप में उक्त वाहन (..) को सरकार के पास गिरवी रखेगा और उधार लेने वाले ने पूर्वोक्त रूप में दिये गये अग्रिम की रकम से या उसके भाग से, वाहन (.................................) जिसकी विशिष्टियां इसके नीचे लिखी गई सूची में दी गई है, खरीद लिया है ।

यह करार इस बात का साक्षी है कि इसके अनुसरण में और पूर्वोक्त प्रतिफल के लिए उधार लेने वाला यह प्रसविदा करता है कि वह पूर्वोक्त..रूपये की रकम या उसके उस भाग का, जो इस विलेख की तारीख तक शेष रह जाता है, ... रूपये की समान किस्तों में प्रत्येक मास के प्रथम दिन संदाय करेगा और उस समय देय और शेष राशि पर उक्त नियम के अनुसार लगाया गया ब्याज देगा । उधार लेने वाला इस बात के लिए सहमत है कि ऐसी किस्तें उक्त नियम के द्वारा उपबंधित रीति में उसके वेतन से मासिक कटौतियॉ करके वसूल की जा सकेगी और उक्त सरकार के ही अनुसरण में उधार लेने वाला, वाहन (..) का, जिसकी विशिष्टियां नीचे लगी अनुसूची में दी गई हैं उक्त अग्रिम और उस पर ब्याज के लिए प्रतिभूति के रूप में, उक्त नियम की अपेक्षानुसार राज्यपाल को समनुदेशन और अन्तरण करता है ।

उधार लेने वाला यह करार करता है और यह घोषणा करता है कि उसने उक्त वाहन की पूरी कीमत दे दी है और वह पूर्ण रूप से उसकी सम्पत्ति है और उसने उसे गिरवी नहीं रखा है और जब तक उक्त अग्रिम के सम्बन्ध में कराई धनराशि राज्यपाल को संदेय रहती है तब तक वह उक्त वाहन (...) को न तो बेचेगा, न गिरवी रखेगा और न उसमें अपने स्वत्व या कब्जे को छोड़ेगा । यह भी करार किया जाता है और घोषणा की जाती है कि यदि मूलधन को उक्त किस्तों में से कोई किस्त या ब्याज देय हो जाने के पश्चात् दस दिन के भीतर पूर्वोक्त रूप में नहीं दे दिया जाता है या वसूल नहीं कर लिया जाता है या यदि उधार लेने वाले की किसी समय मृत्यु हो जाती है, या वह सरकारी सेवा में नहीं रहता है अथवा यदि उधार लेने वाला उक्त वाहन (...) को बेच देता है या गिरवी रख देता है या उसमें अपने स्वत्व या कब्जे को छोड़ देता है अथवा वह दिवालिया हो जाता है या अपने लेनदारों के साथ कोई समझौता या ठहराव कर लेता है अथवा यदि कोई व्यक्ति उधार लेने वाले के खिलाफ किसी डिक्री या निर्णय के निष्पादन में कार्यवाही आरम्भ करता है तो उक्त मूलधन की पूरी रकम जो उस समय देय हो, किन्तु संदाय न किया गया हो, पूर्वोक्त रूप में लगाये गये ब्याज सहित तुरन्त संदेय हो जायेगी ।

और इसके द्वारा यह करार किया जाता है और घोषणा की जाती है कि इसमें इसके पूर्व उल्लिखित घटनाओं में से किसी के होने पर राज्य सरकार उक्त वाहन (...) का अधिग्रहण कर सकेगी और उस पर कब्जा ले सकेगी और सार्वजनिक नीलामी अथवा प्राईवेट संविदा द्वारा उसे बेच सकेगी तथा बेचने से प्राप्त रकम में से उक्त उधार का उस समय शेष भाग और पूर्वोक्त रूप से लगाया गया और देय कोई ब्याज और इसके अधीन अपने अधिकारों को बनाये रखने, उनकी रक्षा करने या उन्हें प्राप्त करने में उचित रूप से किये गये सब खर्च, प्रभार व्यय और संदाय अपने पास रख सकेगी तथा यदि कोई रकम शेष रहती है तो उस उधार लेने वाले, उसके निष्पादकों, प्रशासकों या उसके वैयक्तिक प्रतिनिधियों को दे देगी ।

परन्तु उक्त वाहन (..) का कब्जा लेने या उनको बेचने की पूर्वोक्त शक्ति से, उधार लेने वाले पर, या उसके वैयक्तिक प्रतिनिधियों पर उक्त शेष रकम और ब्याज के लिये अथवा यदि वाहन (...) बेच दिया जाता है तो उतनी रकम के लिए जितना, बेंचने से प्राप्त शुद्व आगम, देय रकम से कम पड़े, राज्य सरकार के वाद लाने के अधिकार पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा ।

और उधार लेने वाला यह भी करार करता है कि जब तक कोई धन राशि राज्य सरकार को देय हो और बाकी रहे तब तक उधार लेने वाला उक्त वाहन (मोंटर गाड़ी या मोटर साइकिल का अग्नि, चोरी या दुर्घटना से होने वाली हानि, या नुकसान के लिए किसी बीमा कम्पनी में जो महालेखाकार द्वारा अनुमोदित हो, जो मोटर गाड़ी या साइकिल पर ली जाने वाली बीमा पॉलिसी के लिए सरकरी आदेश संख्या एफ.13 (1) आर/52, दिनांक 23.3.52 में अन्तर्विष्ट फण्ड को उपबंधित करने के लिए सहमत हो, बीमा कराएगा तथा महालेखाकार को समाधानप्रद रूप में इस बात का साक्ष्य प्रस्तुत करेगा कि उस मोटर बीमा कम्पनी को जिसमें उक्त वाहन (मोटर वाहन या मोटर साइकिल) का बीमा कराया गया है यह सूचना मिल चुकी है कि पॉलिसी में राज्य सरकार हितबद्व है । उधार लेने वाला यह भी करार करता है कि वह उक्त वाहन (मोटर वाहन या मोटर साइकिल) को नष्ट या क्षतिग्रस्त नहीं करने देगा या होने देगा अथवा उसमें उचित टूट–फूट से अधिक टूट–फूट नहीं होने देगा तथा यदि उक्त वाहन (मोटर गाड़ी या मोटर साइकिल) को कोई नुकसान पहुचाता है या उसके साथ कोई दुर्घटना होती है तो उधार लेने वाला उसकी तुरन्त मरम्मत कराएगा और उसे ठीक करा लेगा ।

इसके साक्ष्य स्वरूप उक्त .... *(उधार लेने वाला)* ओर राजस्थान के राज्यपाल के लिए तथा उनकी ओर से .... ने इस पर हस्ताक्षर कर दिये हैं ।

उपरोक्त बन्धक करने वाले के द्वारा हस्ताक्षरित

निम्नलिखित की उपस्थिति में

(1) प्रथम साक्षी :	(2) द्वितीय साक्षीः
हस्ताक्षर..	हस्ताक्षर..
व्यवसाय..	व्यवसाय..
पता...	पता...
....	....

राजस्थान राज्य के राज्यपाल की ओर से .... द्वारा हस्ताक्षर किये ।

(1) प्रथम साक्षी :	(2) द्वितीय साक्षीः
हस्ताक्षर..	हस्ताक्षर..
व्यवसाय..	व्यवसाय..
पता...	पता...
....	....

अनुसूची

वाहन का विवरण

निर्माता का नाम	....
वर्णन	....
सिलेण्डरों की संख्या	....
इंजन संख्या	....
चेसिस फ्रेम संख्या	....
लागत मूल्य	....
अन्य कोई सचित्रा विवरण, यदि कोई हो	....

जी.ए.–178
(वाहन अग्रिम नियम 8(2))

राजस्थान सरकार

बीमा कम्पनी को, मोटर कार/साइकिल/स्कूटर आदि की बीमा पॉलिसियों में सरकार के हित कह सूचना देने वाला पत्र

प्रेषक :

प्रेषिती :

(स्वीकृताधिकारी के माध्यम से)

महोदय,

आपको सूचना दी जाती है कि राज्यपाल, पाबकी कम्पनी द्वारा प्रतिभूत मोटर कार/साईकिल/स्कूटर की बीमा पालिसी संख्या..में हितबद्ध है । आपसे अनुरोश है कि आप उस पॉलिसी में निम्नलिखित आशय का खण्ड जोडने की कृपा करें ।

<u>बीमा पॉलिसी में जोडे जाने वाले खण्ड का प्रारूप</u>

1. यह घोषण की जाती है और करार किया जाता है कि श्री .... ने मोटरकार/साईकिल/स्कूटर का स्वामी जिसे इसमें आगे पॉलिसी की अनुसूची में बीमाकृत कहा गया है (मोटरकार/साईकिल/स्कूटर को, राजस्थान के राज्यपाल) जिन्हें इसमें आगे राज्य सरकार कहा गया है) के पास उस अग्रिम के लिए प्रतिभूति के रूप में गिरवी रख दिया है। जो इस मोटरकार/साईकिल/स्कूटर के लिए लिया गया है । यह भी घोषणा की जाती है और करार किया जाता है कि राज्य सरकार ऐसे धन में हितबद्ध है, जो यह पृष्ठांकन न होता तो उक्त श्री .... (इस पॉलिसी के अधीन बीमाकृत) को, उक्त मोटरकार/साईकिल/स्कूटर की हानि या उसको हुए नुकसान की बाबत (जिस हानि या नुकसान की प्रतिपूर्ति, मरम्मत, यथा पूर्वकरण या प्रतिस्थापन द्वारा नहीं की गई है) संदेय होता । ऐसा धन राज्य सरकार को उस समय तक दिया जायेगा जब तक कि वह इस मोटरकार/साईकिल/स्कूटर का बंधकदार है और उसकी रसीद इस बात का प्रमाण होगी कि ऐसी हानि या नुकसान की बाबत कम्पनी ने पूरा ओर अंतिम भुगतान कर दिया है ।
2. इस पृष्ठांकन द्वारा अभिव्यक्त रूप से जो करार किया गया है उसके सिवाय इसकी किसी भी बात से बीमाकृत या कम्पनी के, इस पॉलिसी के अधीन या संबंध में, अधिकार या दायित्व का अथवा इस पालिसी के किसी निबंधन, उपबंध या शर्त का, न तो उपान्तरण होगा और न उस पर प्रभाव पड़ेगा ।

भवदीय,

हस्ताक्षर...

स्थानः
नाम व पदनाम ....

दिनांकः
स्थायी पता ....

टिप्पणीः– 1.यह पत्रा राज्य कर्मचारी द्वारा दो प्रतियों में, बीमा कम्पनी को स्वीकृताधिकारी के माध्यम से भेजा जायेगा ।
2. जो लागू न हो , उसे काट दीजिए।

राजस्थान सरकार
कार्मिक क–1 विभाग

कमांक प.15/ए/बी (   ) कार्मिक/क–1/   जयपुर, दिनांक

अग्रेषितः– कृपया इस पत्रा के प्राप्त होने की अभिस्वीकृति दें । यह भी अनुरोध है कि इस पॉलिसी के अधीन किसी दावे का संदाय करते समय तथा नवीकरण के लिए कालिक रूप से प्रीमियम का संदाय नहीं होने पर उसकी सूचना देने की कृपा करें।

शासन सहायक सचिव

R.A.H.F. Form No.1

Intimation Memo in respect of payment of Conveyance Advance/Loan.

No......................................   Dated...................

1.	Name of the Government servant to whom advance/loan is granted.	....
2.	Designation	....
3.	Department	....
4.	No. & date of sanction	....
5.	Amount of conveyance advance/ loan sanction	....
6.	Date of drawal of advance or payment of loan	....
7.	(i) Amount drawn/paid	....
	(ii) Total number of instalments in which the amount of advance/ loan is repayable	....
	(iii) Amount of monthly instaliments of principal	....
8.	Date of purchase of vehicle	....
9.	(i) make of vehicle	....
	(ii) Modle	....
10	cost of the vehicle given by Government servant	....
11	Outstanding balance of advance/loan	....

Certified that the above Government servant has opted for contribution to the Advance Hazard Fund and the first recovery of contribution shall bve effected from pay bill for March, ...

Signature of the
Government servant

Signature of the Drawing
Officer/Manager/Agent Bank